न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—118/2008

(व्युत्पन्न कुमारखण्ड थाना कांड संख्या—01/2007)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 26/03/2026) —1—

FORM A

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

S.Tr. No.- 118 of 2008

(C.I.S. No.-1449 of 2013)
(Arising out of Kumarkhand P.S. Case No.-01 of 2007)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा।
(निर्णय की तिथिः— 26/03/2026)

FORM A

सूचक	राज्य द्वारा सूचक —हीरालाल यादव पे0—स्व0 छोटकन यादव, सा0—हरिवोला भतनी ओ0पी0, थाना—कुमारखण्ड जिला मधेपुरा।
अभियोजन की ओर से	श्री शशिधर प्रसाद सिंह, अजय कुमार एवं गिरीशचंद्र गिरीन्द्र, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	**बनाम्** 1. राजदेव यादव 2. धीरेन्द्र यादव, दोनो पे0— मंहगू यादव दोनो सा0—हरिवोला, थाना—कुमारखण्ड जिला मधेपुरा।
बचाव पक्ष की ओर से	श्री नीरज कुमार पिंटु, विद्वान अधिवक्ता

Satish Kumar
26.03.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ★ मधेपुरा ★

FORM B

अपराध की तिथि—	दिनांक— 02.01.2007
प्राथमिकी की तिथि—	दिनांक— 02.01.2007
अन्तिम प्रपत्र की तिथि—	दिनांक— 31.08.2007
अपराध का संज्ञान की तिथि—	दिनांक— 17.09.2007
आरोप गठन की तिथि—	दिनांक— 23.04.2009
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	दिनांक— 01.07.2008
निर्णय पर प्रस्तुत होने की तिथि—	दिनांक— 24.03.2026
निर्णय की तिथि—	दिनांक— 26.03.2026
सजा की तिथि (यदि कोई हो)	दिनांक— 26.03.2026

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—118/2008

(व्युत्पन्न कुमारखण्ड थाना कांड संख्या—01/2007)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 26/03/2026)

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का कम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़ने की तिथि	आरोपित धारा	प्रकृति दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	सजा
01.	राजदेव यादव			धारा— 307/34, 379, 323, 341, 504 भा0द0वि0	दोषसिद्धि	धारा—341 भा0द0वि0 के अंतर्गत पाँच सौ रूपया जुर्माना तथा धारा—323 भा0द0वि0 के अंतर्गत एक हजार रूपये जुर्माना। जुर्माने के राशि में व्यतिकम की स्थिति में सात दिन तक का साधारण कारावास।
02.	धीरेन्द्र यादव			धारा— 307/34, 323, 341, 504 भा0द0वि0	दोषसिद्धि	धारा—341 भा0द0वि0 के अंतर्गत पाँच सौ रूपया जुर्माना तथा धारा—323 भा0द0वि0 के अंतर्गत एक हजार रूपये जुर्माना। जुर्माने के राशि में व्यतिकम की स्थिति में सात दिन तक का साधारण कारावास।

अभियोजन साक्ष्य

कम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
PW-1	दयानंद यादव	अशासकीय
PW-2	जयराम यादव	अशासकीय
PW-3	श्यामलाल किशोर यादव	अशासकीय
PW-4	फुलो यादव	अशासकीय
PW-5	फुलो यादव	अशासकीय
PW-6	राधे यादव	अशासकीय
PW-7	बिनोद यादव	अशासकीय
PW-8	हीरालाल यादव	सूचक
PW-9	डॉ. समीर कुमार दास	चिकित्सक/डॉक्टर

Satish Kumar
26.03.26

बचाव साक्ष्य

कम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
	बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।	

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—118 / 2008
(व्युत्पन्न कुमारखण्ड थाना कांड संख्या—01 / 2007)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 26 / 03 / 2026)

अभियोजन पक्ष / बचाव पक्ष / न्यायालय द्वारा कराये गये प्रदर्श का विवरण
अभियोजन

Sr. No,	Exhibit Number	Description
01.	Exhibit-1	जख्मी बिनोद यादव का चिकित्सीय पुर्जा
02.	Exhibit-1/1	जख्मी राधे यादव का चिकित्सीय पुर्जा

निर्णय

01. प्रस्तुत सत्र वाद, कुमारखंड थाना कांड सं0—01 / 2007 से व्युत्पन्न हुआ है जो सूचक हीरालाल यादव के फर्दबयान पर आधारित है तथा धारा—341, 323, 324, 307, 379, 504 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत कांड के प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों 01. राजदेव यादव 02. धीरेन यादव 03. अभिनंदन यादव तथा 04. विद्यानंद यादव के विरूद्व दर्ज किया गया है।

02. **अभियोजन वाद :—** अभियोजन वाद कांड के सूचक हीरालाल यादव के फर्दबयान पर आधारित है जिसमें सूचक ने कहा है कि —— आज दिनांक 02.01.2007 को समय करीब 12:45 बजे दिन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुमारखंड में अपने स्वेच्छा से बिना कोई भय, प्रलोभन, दबाव के रहित होकर जख्मी भतीजा विनोद यादव के समक्ष आप कुमारखंड के दारोगा जी के पास अपना बयान देता हूँ कि हरिबोला गाँव के पश्चिम टोला में भगैत सम्मेलन के चंदा वसूली मे ग्रामीणों के साथ घूम रहा था और करीब 10:00 बजे दिन मे चन्दा वसूली के बाद अपने घर दरवाजे के पास पहुँचा तो देखा कि मेरे ही गाँव के राजदेव यादव मेरा पुराना साइकिल जो द्वार दरवाजे पर रखा था को चुरा ले जा रहा है तो हम अपना साइकिल को छीनना चाहा लेकिन वह हमें धकेल दिये और साइकिल को अपने घर ले गये। इस बीच हल्ला पर मेरा भतीजा बिनोद यादव, पुत्र सुरेन्द्र यादव एवं अन्य सहयोगी आ गये कि इसी बीच राजदेव यादव हाथ मे भाला, धीरेन यादव हाथ मे सोलही भाला, अभिनंदन यादव हाथ मे फरसा एवं विद्यानंद यादव हाथ मे लाठी, लोहे के रड आदि से लेश होकर आये और गाली गुप्ता करते हुए हमलोगों को लाठी, फरसा, भाला, लोहे के रड से मारने लगे। इस बीच विद्यानंद यादव के ललकारने पर राजदेव यादव हाथ मे लिये भाला से विनोद यादव एवं राधा यादव को पेट मे भाला से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिये एंव अन्य सहयोगी को लाठी लोहे के रड से मारे एवं अन्य भाग मे मारपीट कर जख्मी किये हैं। ग्रामीणों के एकत्रित होने पर बीच—बचाव किये और देखे है जो पूछने पर बतायेंगे। झगड़ा का कारण साइकिल को ले जाना है।

Satish Kumar
26.03.26

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—118/2008
(व्युत्पन्न कुमारखण्ड थाना कांड संख्या—01/2007)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 26/03/2026) **—4—**

03. अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अभियोग सत्य पाते हुए प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों 1. राजदेव यादव 2. अभिनंदन यादव 3. धीरेन्द्र यादव एवं 4. विद्यानंद यादव के विरूद्व धारा—341, 323, 324, 307, 379, 504/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र दिनांक 31.08.2007 को समर्पित किया गया।

04. तत्पश्चात् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मधेपुरा के द्वारा प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए दिनांक 17.09.2007 को आरोप पत्रित सभी चार अभियुक्तों के विरूद्व धारा—341, 323, 324, 307, 379, 504/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लिया गया।

05. संज्ञानोपरांत मामला अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण वाद का दौरा सुपुर्दगी, विद्वान सत्र न्यायाधीश मधेपुरा के न्यायालय में किया गया जहाँ से स्थानांतरण पश्चात् अभिलेख वर्त्तमान न्यायालय को विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त कराया गया।

06. दिनांक 23.04.2009 को अभियुक्त राजदेव यादव के विरूद्व धारा—307 एवं 379 भा0द0वि0 तथा राजदेव यादव समेत अन्य सभी अभियुक्तों के विरूद्व धारा— 307/34, 323, 341, 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया जिसे मानने से अभियुक्तो ने इनकार किया तथा विचारण का सामना करने का दावा किया।

Satish Kumar
26.03.26

07. आरोप गठन के पश्चात् अभियोजन के द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य समाप्ति के उपरांत धारा—313 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्तों का बयान दर्ज किया गया। उक्त प्रकिया पूरी होने के बाद उभय पक्षों का बहस सुना गया तथा उसके पश्चात् अभिलेख को निर्णय हेतु नियत किया गया।

08. **विचारण के दौरान अभियुक्त विद्यानंद यादव एवं अभिनंदन यादव के विरूद्व उनकी मृत्यु के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त की गई है जो दिनांक 20.07.2022 तथा 09.10.2025 के आदेशफलक से स्पष्ट है।**

विनिश्चय, कारण एवं आधार

09. **विनिर्धारण के बिंदु :—** प्रस्तुत सत्र वाद में विनिर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या अभियोजन अपने वाद को सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित कर पाने मे सफल रहा है? अर्थात् क्या अभियुक्तों के विरूद्व धारा—307/34, 323, 341, 504, 379 भा0द0वि0 के अंतर्गत लगाये गये आरोपों को अभियोजन साबित कर पाया है?

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—118/2008
(व्युत्पन्न कुमारखण्ड थाना कांड संख्या—01/2007)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 26/03/2026) **—5—**

10. उक्त प्रश्न के विनिर्धारण के लिए विधिक प्रावधानों के साथ साथ अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन एवं विश्लेषण आवश्यक होगा।

विधिक प्रावधान :——

11. प्रस्तुत सत्र वाद में अभियुक्तों के विरूद्व धारा—307/34, 323, 341, 504, 379 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोपों का गठन किया गया है जो इस प्रकार हैं—

धारा—307 भा.द.वि. :— यह धारा हत्या के प्रयत्न हेतु दण्ड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार — जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों मे करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनो में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डणीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है।

Satish Kumar 26.03.26

धारा—323 भा.द.वि. :— यह धारा स्वेच्छया उपहति (voluntarily causing hurt) कारित करने के लिए दण्ड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार — उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा—334 मे उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा वह दोनो में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो कि एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनो से, दण्डित किया जायेगा।

धारा—319 भा0द0वि0 उपहति (Hurt) को परिभाषित करती है जिसके अनुसार — जो कोई व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंगशैशिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है।

धारा—341 भा.द.वि. :— यह धारा सदोष अवरोध हेतु दण्ड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार — जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

धारा—504 भा.द.वि. :— लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान :— जो कोई किसी व्यक्ति को साश्य अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनो में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डित किया जाएगा।

धारा—379 भा.द.वि. :— यह धारा चोरी के लिए दण्ड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार — जो कोई चोरी करेगा, वह दोनो में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

12. प्रस्तुत सत्र वाद में अभियोजन द्वारा अपने वाद के समर्थन में कुल नौ गवाहों की गवाही कराई गई है जो इस प्रकार है :— 1. दयानंदन यादव 2. जयराम यादव 3. श्यामल किशोर यादव 4. फुलो यादव 5. सुरेन्द्र यादव 6. राधे यादव 7. बिनोद यादव 8. हीरालाल यादव एवं 9. डॉ0 सुमित कुमार दास।

Satish Kumar
26.03.26

अभियोजन साक्षियों का अभिसाक्ष्य :— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों का अभिसाक्ष्य इस प्रकार है —

13. **अभियोजन साक्षी सं0—1 दयानन्द यादव**

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

अभियोजन साक्षी सं0—1 दयानन्द यादव अपने मुख्य परीक्षण के पारा स0—1 मे कहते हैं कि घटना 02.01.2007 की है। समय पौने एक बजे दिन की घटना था। उस समय मै अपने घर पर था। साईकिल को लेकर विद्यानन्द यादव एवं हीरालाल यादव के बीच झगडा हुआ तब दोनो पक्षों के बीच गाली—गलौज हुआ। उस समय अभिनन्दन यादव के हाथ में लोहे का छड था। राजदेव यादव के हाथ में भाला था। धीरेन्द्र यादव के हाथ में बरही था, विद्यानन्द यादव के हाथ में लाठी था। दोनो पक्षों के बचाव के लिये राधे यादव आये, राधे यादव के पेट में राजदेव यादव भाला मार दिया, वह जख्मी हो गया। धीरेन्द्र यादव लोहा का सुल्फा लेकर बिनोद यादव के पेट में मार दिया। अभिनन्दन यादव लोहे के रोड से सुरेन्द्र यादव के सर पर जान मारने के नियत से मारा। विद्यानन्द यादव लाठी लेकर फुलेश्वर यादव के सर पर मारना चाहा परन्तु पीठ पर लगा। जख्मी को उठाकर कुमारखण्ड अस्पताल ले गये जहॉ डॉक्टर ने मधेपुरा अस्पताल में बिनोद यादव एवं राधे यादव को भेज दिया। बिनोद यादव का डॉ0जे0बी0 सिंह के क्लीनिक में ईलाज हुआ। राधे यादव को पूर्णिया में डॉक्टर जगदीश यादव के यहां भेज दिया। मुदालहों को पहचानता हूँ। जो मुदालय नहीं आये है उन्हें भी पहचानता हूँ।

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—118/2008
(व्युत्पन्न कुमारखण्ड थाना कांड संख्या—01/2007)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 26/03/2026) —7—

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी ने पारा—2 में कहा है कि इस केस के सूचक एवं मुदालह एक ही परिवार के हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने पारा नं0—03 में कहा है कि मेरे दादा का नाम स्व0 रामेश्वर यादव था। वे पाँच भाई है, जिनके नाम अधिक यादव, मंहगू यादव, पंछू यादव, छोटकन यादव, रामेश्वर यादव है। अधिक यादव के लडके का नाम पंछू यादव है जो मर गये। पंछू यादव के के लडके डोभी यादव को एक लडकी है जिसका नाम नहीं जानता हूँ उसके पति का नाम जयकुमार यादव है। पारा—4 में कहा है कि जयकुमार यादव एवं अभियुक्तगण जो इस वाद के हैं जिसका G.R No. 421/2006 है उसमे मै जयकुमार की तरफ से गवाह हूँ। महशू यादव जो हमारे दादा के भाई है उनके लडके विद्यानन्द यादव इस केस में गवाह है। विद्यानन्द के तीन लडके इस केस में अभियुक्त हैं। पारा—5 में कहा है कि हमारे दादा के भाई छोटकन यादव के पुत्र हीरालाल यादव इस केस के सूचक हैं एवं उन्हीं के लडके वगैरह इस वाद में गवाह हैं। पारा—6 में कहा है कि मै सेना की नौकर से अवकाश प्राप्त किया हूँ। मेरे उपर लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मुकदमा नहीं किया गया। हमको नहीं पता है कि हमारे उपर सीताराम यादव ठगी का मुकदमा किया है कि नहीं। यह भी हमको नहीं मालूम है कि मै उस केस में जमानत कराया हूँ कि नहीं, उसमें हमारी सजा नहीं हुयी है उसमें हमने कोई अपील नहीं किया है। हमारे दादा रामेश्वर यादव को दो लडके हैं जिनके नम विन्देश्वर यादव उर्फ दिनेश यादव एवं जाखन यादव है। पारा—7 में कहा है कि अभी जहाँ मै रहता हूँ वहाँ मेरे नाम दयानन्द यादव पे0 विन्देश्वर यादव उर्फ दिनेश यादव नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। हमको पेंशन मिलता है। हमारे पास voter list का कार्ड भी है। हमारे पेंशन बुक में पिता का नाम दिनेश्वर यादव लिखा है। बिन्देश्वर कहीं भी नहीं लिखा है। पारा—8 में कहा है कि सीताराम यादव ने जो केस किया था उसका G.R No. 412/81 है उसमें हमको एवं हमारे पिताजी को सजा हुयी थी या नहीं हमको नहीं मालूम है। मैने उसका अपील नहीं किया है। पारा—9 में कहा है कि ऐसी वात नहीं है कि जानबूझकर मै इस वात को छिपा रहा हूँ। इस केस में मुदई से हमको कोई सरोकर नहीं है। सामाजिक सिलसिले में उसके यहां आना जाना है। मुदई से हमने कोई काम नही कराया है। मुदालह लोग संबंध में मेरे खास चाचा लगते है। हमको खास चाचा लोगों से कोई विवाद नहीं है। हमलोग अलग रहते है। हमलोग दादा के समय से अलग है। उस अलग होने में दोनो परिवार को जो जमीन मिला था उससे हमलोग संतुष्ट है। पारा—10 में कहा है कि ऐसी वात नहीं है कि मै ही सूचक से झूठा मुकदमा कराया हूँ।

Satish Kumar 26.03.26

14. अभियोजन साक्षी सं0—2 जयराम यादव

अभियोजन साक्षी सं0—2 जयराम यादव अपने मुख्य परीक्षण के पारा—1 मे कहा है कि घटना आज से लगभग तीन वर्ष पहले दस बजे दिन की है। शोर सुनकर मै हीरा लाल के दरवाजे पर गये वहां जब गया तो देखा कि हीरालाल के साईकिल पर राजदेव यादव लटका हुआ था। पारा—2 मे कहा है कि बीरो यादव ने आदेश दिया कि हीरालाल को मारो। धीरेन्द्र यादव, बिनोद यादव को भाला से छाती में मारा, अभिनन्दन यादव फरसा से सुरेन्द्र यादव के सर पर मारा, राजदेव यादव राधे यादव को भाला से पेट में नाभी के पास मारा, बिंदो यादव फलो यादव को रोड से सर पर मारा। मै और ग्रामीण सभी जख्मियों को कुमारखण्ड अस्पताल ले गये जहां से मधेपुरा अस्पताल ले आये। राधे यादव पूर्णिया अस्पताल रेफर किया गया। पूर्णिया अस्पताल में राधे यादव का ईलाज हुआ। आज धीरेन्द्र यादव न्यायालय में उपस्थित हैं पहचानता हूँ। अन्य मुदालहों को देखकर पहचान सकता हूँ।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी ने पारा—3 में कहा है कि मुदालह लोग मेरे संबंधी हैं। पारा—4 में कहा है कि मेरा घर सूचक के घर से उत्तर दो चार घर के बाद है। जिस समय मै हल्ला सुना, सडक से शोर सुना। मेरे अलग के राधे यादव और श्याम किशोर यादव तथा अन्य बहुत में लोग को भी सुनकर मै किसी के दरवाजे पर नहीं गया। मैने चार आदमी को घायल है, एवम् उन चारों घायलो के शरीर से खून गिर रहा था, तीनो आदमी बेहोश था। मोलो यादव होश में था। सुरेन्द्र, राधे और बिनोद होश में थे। मुझे किसी से बातचीत नहीं हुयी। उन में और मुदालह एक ही खानदान के हैं। अभिनंदन यादव, राजदेव यादव और विद्यानंद यादव को घायल नहीं देखा था। किंतु उन्हे घटना के समय पर पहले से किसी बात का संकेत है नहीं जानता दोनो पक्षों का घर अगल—बगल है। मुदई का सड़क से पश्चिम और मुदालय का सड़क के पूरब है सड़क कितना चौडा है यह नहीं बता सकता, 10—15 फीट होगा। सड़क पर खून गिरा देखा लगभग दो हाथ में खून गिरा देखा था। मैने मुदालयों पर केस किया है। उसमें इस केस का पूरक गवाह है। मेरा केस पुलिस ने झूठा नहीं पाया था। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस ने मेरे उपर केस झूठा पाया था। ऐसी बात नहीं है कि झूठी गवाही दी है।

Satish Kumar 26.03.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

15. अभियोजन साक्षी सं0—3 श्यामलाल किशोर यादव

अभियोजन साक्षी सं0—3 श्यामलाल किशोर यादव अपने मुख्य परीक्षण के पारा—1 मे कहा है कि घटना 2007 की है, समय 10:00 बजे दिन का था। उस समय मै चंदा कलेक्शन कर रहा था। हल्ला सुनकर घटनास्थल पर गया। वहाँ हीरालाल यादव और राजदेव यादव के बीच साईकिल को लेकर झगडा हो रहा था। राधे यादव भी मेरे साथ ही चंदा

कलेक्शन में था। वह भी साथ आया। राधे यादव दोनों पक्षों को समझा रहा था। इसी बीच रामदेव यादव ने भाला से राधे यादव को पेट मे मार दिया। वह बेहोश होकर गिर गया। बिनोद यादव, सुरेन यादव, मुलो यादव घायल थे। बिनोद यादव को छाती में भाला लगा था। इन लोगों में सुरेन्द्र यादव के सिर में जख्म था, फुलो यादव को भी चोट थी। उसके बाद घ ायलो को वहाँ से कुमारखण्ड अस्पताल पहुँचाकर आ गया। वहाँ से दो जख्मियों राधे यादव एवं बिनोद यादव को रेफर कर दिया गया। मुदालय को पहचानता हूँ। आज न्यायालय मे अभिनंदन यादव और धीरेन्द्र यादव आया है जो नहीं आएं है उन्हें भी पहचानता हूँ।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी ने पारा—2 में कहा है कि मुदालय के घर से मेरा घर लगभग 10—15 जरीब की दूरी पर है। साक्षी ने पारा—3 में कहा है कि घटनास्थल पर पहुॅचा तो मैने चार आदमीयों को घायल देखा, वे चारों लोगों में एक बेहोश था, बाकी होश में थे। जो होश में थे, उनसे हमारी कोई बातचीत घटना के बारे में नहीं हुई थी, घायलों को मेरे सामने ही उठाकर अस्पताल ले गये थे। साक्षी ने पारा—4 मे कहा है कि मै जब पहुॅचा तो उसके बाद गवाहान—दयानंद यादव, कुछ अन्य आम ग्रामीण आये, अनका नाम सबका नहीं कह सकता, पुनः कहा कि नागेश्वर यादव भी आये थे। साक्षी ने पारा—5 मे कहा है कि मुदालय भी मुदई पर केस किये हैं, या नहीं मुझे नहीं मालूम है। जख्मी मेरे कोई नहीं लगते है, वह ग्रामीण है। साक्षी ने पारा—6 मे कहा है कि मै मुखिया के चुनाव में उस समय खडा हुआ था, मुदालह का चचेरा भाई भी खडा था दोनो चुनाव हार गये है। यह कहना सही नहीं है कि उसी चुनावी रंजिश से मै झूठी केस में झूठी गवाही दी है।

Satish Kumar 26.03.26

16. **अभियोजन साक्षी सं0—4 फूलो यादव**

अभियोजन साक्षी सं0—4 फूलो यादव अपने मुख्य परीक्षण के पारा—1 मे कहा है कि यह घटना करीब पॉच वर्ष पूर्व (एक माह कम) की है, समय 12:00 बजे दिन का था, मै अपना दरवाजे पर था, हीरालाल और राजदेव यादव के बीच साईकिल लेकर खींचा तानी हो रहा था, हल्ला हुआ, हल्ला पर हीरालाल का लडका सुरेन्द्र यादव आया। अभिनंदन यादव फरसा से मारा—सुरेन्द्र यादव को सिर पर, कपार पर, उसके बाद उसका भतीजा बिनोद यादव दौडकर बचाने आया तो उसे राजदेव यादव उसके पेट में भाला मार दिया। धीरेन्द्र यादव राधे यादव के पेट में भाला मार दिया। बिदो यादव उर्फ विद्यानंन यादव मुझे लाठी से मारा, मेरे सिर पर लगा, हल्ला—गुल्ला हुआ, तीनो जख्मी गिर गया। पारा—2 में कहा है कि उसके बाद उन्हें उठाकर कुमारखण्ड ले गये, वहां से मधेपुरा आये, राधे यादव पूर्णिया भेजा गया, इलाज हुआ, केस हुआ। पारा—3 में कहा है कि पुलिस में बयान हुआ था, यही सब कहा था। पारा—4 में

कहा है कि मुदालय को पहचानता हूँ। राजदेव यादव हाजिर हैं, बाकी को देखकर पहचान लूंगा।

वचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी ने पारा—6 में कहा है कि हम तीन भाई हैं, इस केस के सूचक —हीरा यादव मेरे सहोदर भाई हैंः— सब भाई का घ ार दरवाजा एक ही स्थान पर है। तीनो का मकान दरवाजा अलग—अलग है। मै उपने दरवाजे की exact लंवाई—चौडाई नहीं कह सकता। दरवाजा मेरा खुला हुआ है। सबभाईयों का दरवाजा खुला हुआ है, घेरा हुआ था वन्द नहीं है। पारा—7 में कहा है कि मै उस दिन सुवह में ही जगा था और मै करीव 6—7 वजे मे उठने के वाद अपना दैनिक कार्यक्रम किया और अपनी वस्ती पर ही कुछ अन्य कार्य किया था। करीव 11—11:30 वजे लौटकर अपने दरवाजे पर आया, दिन में करीव आधे घंटे तक वैठा रहा, वहीं पर अपने दरवाजे पर तब मेरी नज़र राजदेव वो हीरालाल पर पडी, पुनः कहा कि बहुत से लोग आये गये, किसी पर नजर नहीं पडी, उस दिन दरवाजे पर हीं रहा प्रायः पुनः कहा कि 12:00 वजे दिन तक रहा बहुत से जान पहचान के लोग आये गये, राधे, श्याम को देखने बहुत से लोग आये—गये। पारा—8 में कहा है कि विनोद, राधेश्याम के मुलाकात के समय उनके शरीर पर जख्म देखा था, भाला लगा था, कही कुछ लगा था, कितना कहूँ (गवाह रह रहकर झल्ला जाता है)। पारा—9 में कहते है कि घ टना डगर पर हुई थी। डगर द्वार एक ही है, डगर वहीं ठोकर है। घटना मेरे और हीरालाल के दरवाजे पर नहीं घटी, विनोद, राधे, सुरेन बेहोश थे—मार से, वे सब बेहोश थे। बिनोद उस समय लुंगी—पैंट पैर मे और गंजी पहने था, पुनः कहा कि उतना ख्याल नहीं आ रहा है। पारा—10 में कहा है कि विनोद के पेट पर जख्म था, नाभि के उपर था, राधे के भी पेट पर ही जख्म था, उतना नापा—जोख नहीं था, ठीक—ठीक उसे (राधे को) भी नाभि के उपर ही जख्म था। उसके बाद मै गॉव में ही रहा, बाहर कहीं नहीं गया था, बूढा जो हूँ। पारा—11 में कहा है कि जख्मी लोग गॉव में कब तक रहे थे, ठीक—ठीक नहीं कह सकता, 5—10 मिनटो बाद चला गया ईलाज के लिए, मोटरसाईकिल, साईकिल से भागा, कुछ पैदल भी गये, मोटरसाईकिल और कौन—कौन गये याद नहीं है। इस पाँच वर्षो के दरम्यान गाँव में और कौन—कौन घटनाएं घटी, नहीं कह सकता। पारा—12 में कहा है कि पुलिस में मै बयान दिया था, पुलिस में बयान दिया था कि अपने दरवाजे पर था, पुनः कहा कि क्या—क्या पुलिस में कहा था, ख्याल नहीं आ रहा है। यह कहा था कि हीरालाल वो राजदेव यादव के बीच साईकिल लेकर खींचा तानी हो रही थी। पुलिस के समक्ष बयान में और क्या—क्या कहा था याद नहीं आ रहा है। पुलिस के समक्ष यह नहीं कहा था कि विनोद यादव दौडकर बचाने आया था। बिदो यादव (विद्य ानंद यादव) लाठी से मुझे मारा, मेरे सिर पर मारा, यह बात पुलिस में कहा था, तीनो जख्मी गिर गये, यह भी कहा था, पुनः कहते हैं कि पुलिस या डॉक्टर से मुझे मुलाकात नहीं हुई थी, पुनः कहा (गवाह कुछ miss-mind प्रतीत होता है)। आज पहली बार बयान दे रहा हूँ, कोर्ट

Satish Kumar
26.03.26

में। पारा–13 में कहा है कि यह कहना सहीं नहीं है कि हमलोग मिलकर विद्यानंद यादव को मार रहे थे जिसका केस कुमारखण्ड थाना काण्ड सं0 02/2007 हुआ है उसी केस के बचाव में झूठी केस में झूठी गवाही दिया है।

17. <u>अभियोजन साक्षी सं0–05 फूलो यादव</u>

अभियोजन साक्षी सं0–05 फूलो यादव अपने मुख्य परीक्षण के पारा–1 मे कहा है कि यह घटना आज से पाँच वर्ष पूर्व की है, समय 12:00–01:00 वजे दिन का था। मै उस समय उपने घर पर आँगन में था। मेरे पिताजी हीरालाल यादव चंदा वसूलने (भगैत–सम्मेलन के लिए) गये थे। वावूजी जव चंदा वसूलकर वरवाजे पर आये तो राजदेव यादव हमारी साईकिल लेकर भाग रहे थे। दरवाजे पर से पिताजी हल्ला किये, मै ऑगन से वाहर निकला और साईकिल पकड लिया। हल्ला किया राजदेव ने भाला से राधे को पेट में मारा और धीरेन्द्र यादव विनोद यादव को 'सोल्ही से' मारा–पेट में, अभिनंदन यादव फरसा से सिर पर मारा–मुझे (सुरेन्द्र को) फूलो यादव को विद्यानंद यादव को लोहा के रॉड से कंधा पर मारा। यह मारपीट सव हमारे दरवाजा पर हो रही थी, सड़क के किनारे। पारा–2 में कहा है कि उसके वाद ईलाज के लिए हमे कुमारखण्ड ले गये, वहाँ से विनोद वो राधे को ईलाज हेतु पहले मधेपुरा वो वाद में पूर्णिया भेजा गया, मेरा वहीं पर ईलाज हुआ। पारा–3 में कहा है कि थाना पर मेरे पिताजी केस किये, कुमारखण्ड थाना, वहीं पर उनका फर्दवयान हुआ था। पारा–4 में कहा है कि मुदालहों को पहचानता हूँ, देखकर पहचान लूँगा (वकालतन प्रतिननिधित्व है)। पारा–5 में कहा है कि इस केस के मुद्दई मेरे पिताजी है, मुदालहगण, मेरे फ़रीक ही है। उनका घर सडक उस पार है, थोडा हटकर उसी गॉव में। मुदालहगण खेती–गृहस्ती करते है। हमलोग भी खेती–गृहस्थी करते है। मुदालहगण हिस्सेदार वो देयाद है।

वचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी ने पारा–6 में कहा है कि चंदा मांगने मै नहीं गया था। मै आंगन मे अन्दर था, उस समय कहाँ पर मेरे परिजन भी थे–पत्नी, माँ, चाची, भाई वगैरह। हल्ला पर मै और वे लोग भी आंगन से वाहर आये दरवाजा सडक पर वाहर निकला तो पाँच आदमी को घायल अवस्था में देखा। पाँचों के शरीर से खून गिर रहा था। उसमे से चार आदमी वेहोश थे। राधे यादव, विनोद यादव, मै स्वंय, फूलो यादव, होश में विरेन्द्र यादव था। वेहोश वालों को आस्पताल में होश आया। जव होश हुआ तो मेरी पूरी शरीर में सिर में एक जगह जख्म था। स्वतः फरसा की जख्म राधे यादव को भी एक जख्म देखा फूलेश्वर, फूलो को एक जख्म और विनोद को भी एक जख्म देखा। पारा–7 में कहा है कि विनोद यादव को पेट में वाई तरफ जख्म थी। राधे को पूट में वायां भाग में जख्म था, वे लोग उस समय हीं वेहोश थे। इस कारण वहाँ उस समय उनसे हमारी

कोई बातचीत नहीं हुई थी। बेहोश लोगो से बातचीत हुई बाद में एक माह बाद घटना के। मै होश हवास में गवाही दे रहा हूँ अभी। पारा–8 में कहा है कि मेरे पिताजी होश में थे, मुझे एक रोज बाद होश हुआ अस्पताल में। होश में आने पर पिताजी से बातचीत हुई थी। वह कहे कि मैंने ऐसा ऐसा मुकदमा किया है, जब आप बेहोश थे। पारा–9 में कहा है कि मुदालह मेरे फरीक वो देयाद ही है। उनको भी साईकिल है। साईकिल की खरीद की रसीद है या नहीं मै नहीं कह सकता, पिताजी खरीदे थे। पारा–10 में कहा है कि मेरे दादाजी का नाम छोटकन यादव था, उनके चार भाई थे। उसी महंगू यादव के लडके अभियुक्त विद्यानंद यादव वो विद्यानंद के लडके अभिनन्दन, राजदेव, धीरेन्द्र यादव मुदालह हैं। गवाह अधिक यादव, रामेश्वर यादव के पोतागण–जयकुमार, दिनेश, दयानंद यादव इस केस के गवाहगण है। पारा–11 में कहा है कि उसी दिन की घटना लेकर मारपीट का ही केस मुदालह हम सब पर किया है। कुमारखण्ड थाना काण्ड सं0 02/2007 हमसब पर किया है। पारा–12 में कहा है कि यह कहना सही नहीं है कि झूटी केस मे झूटी गवाही दिया है और ऐसी कोई घटना नहीं घटी है।

18. **<u>अभियोजन साक्षी सं0–06 राधे यादव</u>**

अभियोजन साक्षी सं0–06 राधे यादव अपने मुख्य परीक्षण के पारा–1 मे कहा है कि यह घटना करीब 02 वर्ष से ज्यादा की है, समय 12:00 बजे दिन का था। उस समय उस गाँव में भगैत सम्मेलन का चंदा वसूलने जा रहा था। आठ दस आदमी हमलोग साथ में थे। हीरालाल, अर्जुन, श्याम, मै वगैरह। चंदा वसूलकर सब लोग अपने–अपने घर चले गये। एकाएक, हीरालाल यादव के घर के झगडा होने लगा। हीरालाल यादव वो राजदेव यादव के बीच साईकिल को लेकर झगडा होने लगा। राजदेव ने बिनोद को भाला से मारा, मुझे राजदेव ने भाला से मारा, पेट में लगा, धस गया, खून बहने लगा, मै गिर गया। बिनोद भी गिर गया। उसको सीने, छाती में भाला लगा था। पहले उसी को मारा। मै छुडाने गया था। अभिनंदन ने भी सुरेन को मारा भाला की तरह का हथियार सोरही से, उसे बगल के फिर बगल मे लगा, धिरेन सोलहा किया था, वह सुरेन को मारा। पारा–2 मे कहा है कि कोई अपने हाथ मे लाठी, कोई रड लिये थे। पारा–3 मे कहा है कि मेरा, राधे, सुरेन, बिनोद का ईलाज कुमारखण्ड में हुआ, उसके बाद मुझे मधेपुरा और वहाँ से पूर्णिया ले गया, वहाँ पर ईलाज हुआ। पारा–4 मे कहा है कि पुलिस गाँव पर आई थी बयान दिया था बाद में यहीं बातें कहीं थी। पारा–5 मे कहा है कि झगडा दोनो पक्षों के बीच साईकिल को लेकर विवाद शुरू हुआ था और मारपीट में बदल गया, बढ़ गया। पारा–6 मे कहा है कि मुदालह को पहचानता हूँ, धीरेन्द्र हाजिर है, बाकी को देखकर पहचान लूंगा। पारा–7 मे कहा है कि भगैत सम्मेलन

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—118/2008
(व्युत्पन्न कुमारखण्ड थाना कांड संख्या—01/2007)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 20/03/2026)

के चंदा वसूली में 15—20 आदमी थे। 09—10 बजे चंदा वसूलने निकले थे। हीरालाल गॉव में ही चंदा करीब 12—01 बजे दिन तक वसूला गया। अंतिम में श्याम यादव के यहां चंदा वसूलकर हम घर चले गये। हीरालाल यादव के घर से श्याम यादव का घर 15—20 जरीब पर उत्तर पश्चिम तरफ है। श्याम यादव के घर से हीरालाल यादव के घर पर पहुचने में दौडकर 05—10 मिनट लगा होगा। हमारे साथ हीरालाल यादव भी चंदा वसूलने में था। हीरालाल यादव सूचक है, इस केस का साथ में अर्जुन यादव, श्याम यादव, राजेन्द्र यादव वगैरह है, सबका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। पॉच वर्ष करीब हो गये। हल्ला हो गया कि लडाई हो गई, लडाई हो गई, कौन—कौन हल्ला किया याद नहीं। पारा—8 मे कहा है कि उसी हल्ला पर हमलोग दौडकर आये। दौडकर हीरालाल यादव के द्वार पर गये। दौडकर आया तो हीरालाल के शरीर पर जख्म देखें। हीरालाल के दरवाजे पर विनोद और सुरेन वेहोश थे। पारा—9 मे कहा है कि मै उठाने का प्रयास नहीं किया झगडा हो ही रहा था, छुडाने का प्रयास करने लगा, दौडकर गया, मै उन्हें उठा सका नहीं, बमुश्किल 05 मिनट उनके दरवाजे पर रहा। जबतक वहां पर रहा मेरी जान पहचान का बहुत आदमी वहां पर आये थे—विनोद, हीरालाला, सुरेन, धीरेन, नागेश्वर, श्याम वगैरह को देखा, सबका नाम याद नहीं है। पारा—10 मे कहा है कि जख्मी लोगों को ईलाज कराने कुमारखण्ड ले गये, मैं तो वेहोश हो गया, उठाकर ले गये। बाद में पूर्णिया में मुझे होश आया। दवा—ईलाज होने पर मुझे वेहोशी की हालत में ही पूर्णिया ले गया था। होश होने पर मेरा बेटा, भगीना, वगैरह बताये कि कहां—कहां ले गये। मेरा बेटा का नाम अनमोल, सुनील है, सुनील अब मर गया है। पारा—11 मे कहा है कि उस समय मै कुर्ता, गंजी, स्वेटर, लुंगी पहने था। कपडे में सब खून लगा था। पूरा खुन चला था। सबमे खून लगा था, लुंगी में खून लगा था या नहीं कह नही सकता। स्वतः मार लोन के थोडी देर बाद में बेहोश हो गया। विनोद उस समय लुंगी—गंजी पहने था और कौन—क्या कपड़ा पहने था मुझे याद नहीं है। किस साधन से मुझे मधेपुरा, पूर्णिया में ले जाया गया नहीं कह सकता। पूण्रिया से लगभग 16—17 दिनों बाद गॉव पर अया। पारा—12 मे कहा है कि मेरे घर पर आने के करीब 2 दिनो बाद ही पुलिस गॉव पर आयी थी। पारा—13 मे कहा है कि मुदालय भी उसी दिन की घटना लेकर हमसब पर केस किये है या नहीं मै नहीं कह सकता। यह कहना सही नहीं है कि इस केस का काउंटर कुमारखण्ड थाना केस सं0 02/2007 है। पारा—14 मे कहा है कि मुदई और मुदालह मूलतः एक ही परिवार के हैं, देयाद है। आपस में काउंटर केस के बारे में मै नहीं जानता। पारा—15 मे कहा है कि उस समय सूचक हीरालाल यादव वगैरह मिलकर विद्यानंद यादव वगैरह को भी मारपीट किया है, यह कहना सहीं नहीं है। पारा—16 मे कहा है कि वहां पर कोई आदमी कभी आया कभी कोई और। पारा—17 मे कहा है कि मुझे छुडाने के कम मे मारा, किस नीयत से मारा मै कैसे कह सकता हूँ। पारा—18 मे कहा है कि सुरेन और बिनोद को भी मारा, बिनोद को भाला छाती पर

Satish Kumar 26.03.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

लगा थां किस साईड में था, यह ठीक–ठाक से याद नहीं है। सुरेन को कपार पर खून वह रहा था, किस साइड में था कह नहीं सकता। पारा–19 मे कहा है कि यह कहना सही नही है कि सूचक हीरालाल का मेली होने के कारण झूठी गवाही दिया है और ऐसी कोई घटना नही घटी थी। (स्वतः मेरा तो दोनो पक्ष मेली है–बराबर कोर्ट को)

19. **अभियोजन साक्षी सं0–07 बिनोद यादव**

अभियोजन साक्षी सं0–07 बिनोद यादव अपने मुख्य परीक्षण के पारा–1 मे कहा है कि यह धटना करीब 5 वर्ष दो माह पूर्व की है, समय 12–01 बजे दिन का था। मै उस समय अपने घर पर था। साईकिल की बात लेकर हल्ला हुआ, हल्ला सुनकर हीरालाल यादव के दरवाजे पर गया, गया तो देखा कि हीरालाल यादव साईकिल में हीरालाल यादव वो राजदेव यादव लटके थे, राजदेव यादव साईकिल खींच रहा था। राजदेव यादव हीरलाल यादव के घर के आगे वाली सडक पर पहुंच गया। राजदेव यादव अपने भाईयों को पुकारा, अभिनंदन यादव, धीरेन्द्र यादव, विद्यानंद यादव, राजदेव यादव सभी जुट गये। राजदेव यादव को धीरेन्द्र यादव भाला लाकर दे दिया, एक भाला अपने हाथ मे लिया, अभिनंदन यादव के हाथ में फरसा था और विद्यानंद यादव के हाथ में लाठी थी, मारने लगे। राजदेव यादव ने भाला से राधो यादव के पेट में मार दिया। सुरेन यादव को अभिनंदन याव ने फरसा से सिर पर मारा, फुलो यादव को विद्यानंद को लाठी से मारा। मुझे भाला से धीरेन्द्र यादव ने मारा, छाती में बाई तरफ लगा। उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ? हमें उठाकर अस्पताल में कुमारखण्ड ले गये, सभी जख्मी को ले गये। वहां से मधेपुरा भेजा। मधेपुरा से सहरसा भेजा। सहरसा कहीं जाकर मधेपुरा में ही डॉ. जय बहादुर सिंह के क्लिनिक में मधेपुरा में ही ईलाज करवाया। राधे यादव मधेपुरा से पूर्णिया में ईलाज करवाया था। सुरेन यादव वो फूलो यादव का कुमारखण्ड में ही ईलाज हुआ। पारा–2 मे कहा है कि पुलिस में बयान मेरा हुआ था, बाद में यही सब बातें कहा था। पारा–3 मे कहा है कि मुदालयह को पहचानता हूँ, देखकर पहचवान लूंगा, धीरेन्द्र यादव हाजिर है। पारा–4 मे कहा है कि मुदई का मैं खास भतीजा हूँ। मुदालह भी हमारे फरीक है।

Satish Kumar
26.03.26

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी ने पारा–5 में कहा है कि हीरालाल यादव से सटे दक्षिण तरफ मेरा घर है। बीच में किसी अन्य का घर नहीं है। मेरे घर का रूख दक्षिण तरफ अभी है। उस समय पूरब तरफ था। हीरालाल का भी रूख पूरब तरफ ही है। बीच में हाट है। चार पाँच हाथ उंची टाट है। मुदालह का घर मेरे घर के पूरब तरफ है, बीच में सडक है, कच्ची सडक, ग्रामीण। मुदालह का घर एक ही जगह है,

अलग—अलग बांटा हुआ है। हमारे दरवाजे से दो लगा दूरी उनका घर है। पारा—6 में कहा है कि हल्ला पर मै पहुंचा तो वहां पर एक आदमी को जख्मी देखा, सुरेन्द्र यादव को। वह घायल था, वो बैठा था। वहीं पर बैठाया गया थां वह बेहोश था, मुदालह सब को घायल नहीं देखा था। पारा—7 में कहा है कि अभियुक्त विद्यानंद यादव ने उसी दिन/तारीख की घटना को लेकर हम सबपर भी केस किया है। मै भी उसमें मुदालह में हूँ, जमानत पर हूँ। वह केस किस चीज की है नहीं कह सकता। पारा—08 में कहा है कि कुल मिलाकर चार आदमी को जख्मी देखा, पाँच मिनट वहां पर रूके और चले गये। मुझे किसी जख्मी से बातचीत नहीं हुयी थी। पारा—9 में कहा है कि हल्ला पर दोनों ओर की महिलाएं भी आयी थीं वहां पर बांस की करची/फट्टा वगैरह थी। मारपीट सड़क के पश्चिम तरफ वो कुछ सड़क पर हुयी थी। उस सड़क के दोनो किनारे लोग करची/जलावन की लकडी वगैरह रखते है। पारा—10 में कहा है कि दोनो पक्षों मे जमीन का कोई अन्य विवाद नहीं है। पारा—11 में कहा है कि यह कहना सहीं नहीं है कि बाता—बाती में दोनो पक्षों में झंझट हो गई जिससे मुदई पक्ष के लोग करची पर गिर गये और मौका पाकर मुदालह को झूठी केस में फंसा दिया है और मेल में झूठी गवाही दी है।

20. **<u>अभियोजन साक्षी सं0—08 हीरालाल यादव</u>**

अभियोजन साक्षी सं0—08 हीरालाल यादव अपने मुख्य परीक्षण के पारा—1 मे कहा है कि मै ही इस केस का सूचक हूँ। इस घटना को आज साढ़े पाँच वर्ष हो गये, समय 10—11 बजे दिन का था। मै मोहक में बैठा था और अन्य लोग महावीर अस्टयाम वो भगैत सम्मेलन का चंदा इकट्ठा कर रहे थे। गॉव में राजदेव यादव मेरी साइकिल मोहाल से लेकर भागा। मै दौडकर पकडा साइकिल सहित, वह मुझे वो साइकिल समेत खींचकर अपने दरवाजे तक ले गया। उसके घर के मर्द अभिनंदन, धीरेन यादव, विद्यानंद यादव आये और उसके घर के लोग राजदेव को भाला निकाल कर दियें, राजदेव ने वह भला चला दिया, राधे यादव के पेट में लगा। इसी बीच सुरेन यादव आया, अभिनंदन ने फरसा से सुरेन को मारा, कपार पर लगा, खून गिरने लगा। उसके बाद धीरेन यादव सोढी (तिनकोना लोहा का हथियार) से बिनोद को मारा, पेट में लगा। हल्ला पर बहुत से लोग जमा हो गये। देखें तब मुदालह भागे। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—02 में कहा है कि घायलों को कुमारखण्ड ले जाया गया। वहाँ से बिनोद वो राधे को मधेपुरा भेजा। वहां से कुछ ईलाज के बाद राधे को पूर्णिया वो बिनोद को मधेपुरा में ईलाज हुआ था। साक्षी अपने मुख्य परीक्षण के पारा—03 में कहते है कि दारोगाजी को बयान दिया—डॉक्टर के यहॉ, सही पाकर निशान बनाया, केस हुआ, बयान हुआ। पारा—04 में कहते है कि मुदालय को पहचानता हूँ। राजदेव वा धीरेन हाजिर है, बाकी को देखकर पहचान लूंगा। बाकी का वकालतन प्रतिनिधित्व है।

Satish Kumar
26.03.26

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी ने पारा–5 में कहा है कि मुदालह मेरे ही गाँव के हैं, देयाद हैं, गोतिया हैं।

21. **अभियोजन साक्षी सं0–09 डॉ समीर कु0 दास**

अभियोजन साक्षी सं0–09 डॉ समीर कु0 दास अपने मुख्य परीक्षण के पारा–1 मे कहते हैं कि मै दिनांक 02.01.2007 को P.M.C कुमारखण्ड में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित था। उक्त तिथि को मै जख्मी विनोद यादव पिता फुलेश्वर यादव ग्राम हरिवोला थाना कुमारखण्ड जिला मधेपुरा कि जख्म का एवं राधे यादव पिता स्व0 सलुग यादव के जख्म का ईलाज किया था। विनोद यादव के शरीर पर निम्नलिखित जख्म पाया।

1. cut injury on chest left side below nipple. उनको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था।
2. जख्मी राधे यादव के पेट के तरफ छाती के नीचे cut injury दोनो जख्मियों को ईलाज हेतु सदर अस्पताल, मधेपुरा रेफर किया।
3. उक्त दोनो जख्मियों का पर्चा मेरे लिखित एवं हस्ताक्षर में है। इसे प्रदर्श–1 एवं 1/1 अंकित किया गया है।
4. पर्चा कर दोनो जख्मियो पर नाम पुर्जा बनाने वाले स्टाफ द्वारा लिखा गया है। किसी भी जख्मी का लम्बाई, चौडाई, गहराई एवं जख्म का समय पर्चा पर अंकित नहीं है।

Satish Kumar
26.03.26

22. **अभियोजन साक्ष्य का परिशीलन एवं विश्लेषण** : —

प्रस्तुत सत्र वाद में अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाहों की गवाही कराई गई है जिनमें एक साक्षी सं0–09 डॉक्टर है तथा शेष तथ्य के साक्षी हैं। साक्षी सं0–01 दयानंद यादव है जिन्होने घटना का समर्थन करते हुए कहा है कि घटना 02.01.2007 के समय पौने एक बजे दिन की है। जिसमें दोनो पक्षों के बीच हुई मारपीट में राजदेव यादव ने राधे यादव के पेट में भाला मार दिया जिससे वह जख्मी हो गया। धीरेन्द्र यादव ने लोहे के सुल्फा से बिनोद यादव के पेट में मार दिया। अभिनन्दन यादव ने लोहे के रड से सुरेन्द्र याद के सिर पर मारा। जख्मी को उठाकर कुमारखंड अस्पताल ले गये जहाँ डॉक्टर ने मधेपुरा अस्पताल भेज दिया।

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—118/2008
(व्युत्पन्न कुमारखण्ड थाना कांड संख्या—01/2007)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथि— 26/03/2026)

अभियोजन साक्षी सं0—02 जयराम यादव ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि घटना लगीग तीन वर्ष पूर्व करीब 10 बजे की है। साक्षी का कथन है कि शोर सुनकर हीरालाल के दरवाजा पर गया तो देखा कि हीरालाल की साइकिल पर राजदेव लटका हुआ था। पारा—02 में साक्षी का कथन है कि बीरो यादव ने आदेश दिया कि हीरालाल को मारो। धीरेन्द्र यादव ने बिनोद यादव को भाला से छाती में मारा, अभिनंदन यादव ने फरसा से सुरेन्द्र यादव के सिर पर मारा, राजदेव यादव ने राधे यादव को भाला से पेट में नाभि के पास मारा, बिंदो यादव ने फुलो यादव को रड से सर पर मारा। मै ग्रामीण सभी जख्मियों को कुमारखंड अस्पताल ले गये जहाँ से मधेपुरा अस्पताल ले आये। राधे यादव को पूर्णिया अस्पताल रेफर किया गया। पूर्णिया अस्पताल मे राधे यादव का इलाज हुआ।

अभियोजन साक्षी सं0—03 श्यामलाल किशोर यादव है जिन्होने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 में कहा है कि घटना 2007 के 10 बजे दिन की है। उस समय मै चंदा कलेक्शन कर रहा था। हल्ला सुनकर घटनास्थल पर गया। वहाँ हीरालाल यादव और राजदेव यादव के बीच साईकिल को लेकर झगड़ा हो रहा था। राधे यादव भी मेरे साथ ही चंदा कलेक्शन में था। वह भी साथ आया। राधे यादव दोनो पक्षों को समझा रहा था। इसी बीच राजदेव यादव ने भाला से राधे यादव को पेट में मार दिया। वह बेहोश होकर गिर गया। बिनोद यादव, सुरेन यादव, फुलो यादव घायल थे। बिनोद यादव को छाती में भाला लगा था। इनलोगो में सुरेन्द्र यादव के सिर में जख्म था, फुलो यादव को भी चोट थी।

Satish Kumar
26.03.26

अभियोजन साक्षी सं0—04 फुलो यादव ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि यह घटना करीब पाँच वर्ष पूर्व (एक माह कम) की है, समय 12:00 बजे दिन का था, मै अपने दरवाजे पर था। हीरालाल और राजदेव यादव के बीच साइकिल को लेकर खींचतान हो रहा था। हल्ला हुअ। हल्ला पर हीरालाल का लड़का सुरेन्द्र यादव आया। अभिनंदन यादव फरसा से मारा सुरेन्द्र यादव को सिर पर, कपार पर, उसके बाद उसका भतीजा बिनोद यादव दौड़कर बचाने आया तो उसे राजदेव यादव उसके पेट में भाला मार दिया। धीरेन्द्र यादव राधे यादव के पेट में भाला मार दिया। बीदो यादव उर्फ विद्यानंद यादव मुझे लाठी से मारा, मेरे सिर पर वह लगा, हल्ला—गुल्ला हुआ तीनो जख्मी गिर गये।

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0–118/2008
(व्युत्पन्न कुमारखण्ड थाना कांड संख्या–01/2007)

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 26/03/2026) **–18–**

इसी तरह अभियोजन साक्षी सं0–05 फुलो यादव, अभियोजन साक्षी सं0–06 राधे यादव, अभियोजन साक्षी सं0–07 बिनोद यादव एवं अभियोजन साक्षी सं0–08 हीरालाल यादव सभी ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण के पारा–01 में घटना का पूर्णतः समर्थन किया है।

अभियोजन साक्षी सं0–09 डॉ. समीर कुमार दास है जिन्होने जख्मी बिनोद यादव एवं राधे यादव का इलाज किया तथा दोनो के शरीर पर पाया। जख्मियों के जख्म संबंधी पुर्जा को प्रदर्श–1 एवं 1/1 अंकित किया गया है।

आदेश

23. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का विश्लेषण करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों के विरूद्व धारा–307/34, 504 एवं 379 भा0द0वि0 के तहत लगाए गए आरापों को सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है अतः उक्त धाराओं के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाता है जबकि धारा–341 व धारा–323 के अंतर्गत लगाये गए आरोपों को अभियोजन सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित करने में सफल रहा है। अतः विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों 1. राजदेव यादव एवं 2. धीरेन्द्र यादव को धारा–341 तथा धारा–323 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषसिद्व घोषित किया जाता है। सभी दो अभियुक्तों की हाजिरी दी गई है। निर्णय इनके समक्ष खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया। दोषसिद्व अभियुक्तो को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

अभिलेख द्वितीय पाली में सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

मेरे द्वारा लिखित, संशोधित एवं हस्ताक्षरित है।

Satish Kumar 26.03.26

(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
मधेपुरा।
दिनांक 26/03/2026

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

Satish Kumar 26.03.26

(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
मधेपुरा।
दिनांक 26/03/2026

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—118/2008
(व्युत्पन्न कुमारखण्ड थाना कांड संख्या—01/2007)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 26/03/2026) **—19—**

सजा के बिन्दु पर सुनवाई

तत्पश्चात्
26—03—2026

(24) अभिलेख द्वितीय पाली में सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता ने सजा में नरमी बरतने का निवेदन इस आधार पर किया कि दोषसिद्धों ने काफी लम्बे समय तक विचारण का सामना किया तथा इससे पूर्व दोषसिद्धों के विरूद्व कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है तथा ये गरीब परिवार से आते हैं।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अधिकतम सजा की मांग की ताकि अपराध कारित करते समय लोगो में भय उत्पन्न हो तथा वे अपराध से विरत रह सकें।

उभय पक्षों को सुना। उभय पक्षों की प्रार्थना पर विचार करते हुए दोषसिद्ध अभियुक्तों 1. राजदेव यादव तथा धीरेन्द्र यादव की धारा—341 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्रत्येक दोषसिद्ध को पाँच सौ रूपये जुर्माना तथा धारा—323 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्रत्येक को 1000/— (एक हजार) रूपये जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। जुर्माने की राशि में व्यतिक्रम की स्थिति में सात दिन के साधारण कारावास की अवधि से दण्डित किया जायेगा।

निर्णय एवं दण्डादेश की प्रति दोषसिद्धों को निशुल्क प्रदान करें। आवश्यक अनुपालन के पश्चात् अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय एवं दण्डादेश की प्रति राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJGD) पर अपलोड करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखित, संशोधित एवं हस्ताक्षरित है तथा खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

Satish Kumar 26.03.26

(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
मधेपुरा।
दिनांक 26/03/2026

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

Satish Kumar 26.03.26

(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
मधेपुरा।
दिनांक 26/03/2026